(2285) (409)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश खण्ड न्यायालय रीवा

प्रकरण क्रमांक R.1914-I/12

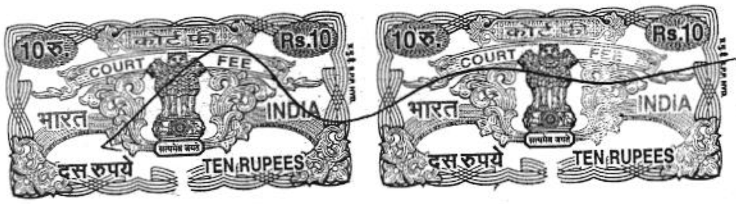

रामवती मिश्रा पत्नी श्री निबास मिश्रा उम्र 57 साल, पेशा खेती एवं गृहकार्य, निबासीग्राम मवई, तहसील चुरहट, जिला सीधीम०प्र०--आवेदिका

बनाम

1/ दौलत साहू तनय कलुआ साहू उम्र 52 साल, पेशा नौकरी व खेती,

2/ नन्दलाल साहू तनय कलुआ साहू उम्र 66 साल, पेशा खेती,

दोनो निबासी ग्राम मवई, तहसीलचुरहट, जिला सीधी म०प्र०

------- अनावेदकगण

R-1914-I/12

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी चुरहट, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक-20/अपील/10-11 में पारित अन्तरिमआदेश दिनांक-18/4/12.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

निम्नांकित पुनरीक्षण प्रस्तुत है:---

:- प्रकरण के सूक्ष्म तत्थय :-.

(क) यह कि ग्राम लकोड़ा, तहसीलचुरहट, स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमांक-86 कुल रकवा 2.74 है० भूमि के कालान्तर में अनावेदकगण हिस्सा 1/2 के सह भूमिस्वामी थे, अनावेदकगणं आपसी विभाजन के आधार पर न्यायालय नायव तहसीलदार तहसीलचुरहट, जिला सीधी द्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक-43/अ-27/09-10 आदेश दिनांक 30/11/2009 अनावेदक गण के मध्य वटनवारा नामान्तरण का आदेश पारित किये जाने के वाद विवादित भूमि खसरा क्रमांक-86/1 रकवा 1.38 है० अनावेदकक्रमांक-2 के नाम तथा भूमि खसरा क्रमांक-86/2 रकवा 1.32 है० अनावेदकक्रमांक-1 के नाम की गई थी।

285

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R1314-I/12 जिला सीधी

रामवती मिश्रा विरूद्ध श्रीमती रमाई

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री मनोज शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 20/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 14-12-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

मध्य बटनवारा नामान्तरण का आदेश पारित किये जाने के बाद विवादित भूमि खसरा क्रमांक-86/1 रकबा 1.38 हे0 अनावेदक क्रमांक-2 के नाम तथा भूमि खसरा क्रमांक-86/2 रकबा 1.32 हे0 अनावेदक क्रमांक-1 के नाम की गई थी।